कार्यालय महाधिवक्ता,म.प्र.उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर

रुमांकः प्रमुख सचिव, प्रति, 1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, विध्याचल भवन—भोपाल 2. पुलिस अधीक्षक जिला— भिण्ड

> आपराधिक अपील कं. 224/2004 महेन्द्र सिंह आदि वि० म.प्र. शासन द्वारा थाना आलमपुर जिला भिण्ड

उपरोक्त आपराधिक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपर सत्र न्यायाधीश लहार जिला भिण्ड द्वारा सत्र प्रकरण कमांक 213/02 में पारित निर्णय दिनांक 16.02. 04 के संबंध में प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.02.16 को सुनवाई हेतु नियत होने पर प्रकरण को अंतिम रूप से निराकृत किया गया।

प्रकरण के आदेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रकरण में पारित आदेश विधि सम्मत होने से प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस.एल.पी. की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

संलग्न :-

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.02.16 की प्रति

> (भानु प्रताप सिंह चौहान) शासकीय अधिवक्ता

205-2016